

Title: Need to fix a time limit for execution of works under Member of Parliament Local Area Development Scheme.

**राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़):** देश में संसद सदस्य रथानीय विकास निधि के अंतर्गत जारी धनराशि को जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में जन भावना के आधार पर, जन आवश्यकता के आधार पर एवं निधि के अंतर्गत बनाए गए दिशा निर्देशों के आधार पर प्रस्ताव करते हैं इसमें कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको जल्द किया जाना अति आवश्यक होता है। परंतु स्थानीय प्रूशासन अधिकारी इन कार्यों को करवाने में नाफक देरी करते हैं और कई सांसदों की निधि का तो कार्य किए जाने के बाद उनका कार्यकाल तक उपरोक्त नहीं होता है। समय सीमा के संबंध में केन्द्र सरकार ने कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं याथ से साथ स्थानीय अधिकारियों की वजह से संसद सदस्य विकास निधि के अंतर्गत बनाए कार्यों पर नेम प्लॉट लगाने का कार्य नियमानुसार नहीं हो रहा है। काम किसी सांसद निधि से होता है तो नेम प्लॉट किसी अन्य जन प्रतिनिधि की लगा दी जाती है।

सर्वन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि संसद सदस्य रथानीय विकास निधि के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को कराने की एक समय सीमा रखी जाए और नेम प्लॉट लगाने के कार्य में नियमों के अनुसार किया जाए और इसमें सख्ती बरती जाए।